



**2026: AHC: 41050**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5127** वर्ष **2026**

राम सिंह .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य .....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ओम प्रकाश चौबे, श्रवण कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान अपर आयुक्त (न्यायिक), झाँसी मंडल, झाँसी को प्रतिवादी संख्या-10 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौर को सुना गया।
3. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही निजी प्रतिवादी के पिता इन्दल सिंह द्वारा शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या-00623/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उक्त कार्यवाही को प्रतिवादी संख्या-3/तहसीलदार, तहसील-जालौन, जिला जालौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर मृतक इन्दल सिंह के कानूनी वारिसों ने 02.09.2024 को एक बहाली आवेदन दायर किया। उक्त बहाली आवेदन को प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2025 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा धारा 210 के तहत एक निगरानी दायर की गई, जिसे अपर आयुक्त (न्यायिक), झाँसी मंडल, झाँसी द्वारा आदेश दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उपरोक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकारियों द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा विलंब माफी के आवेदन के साथ बहाली आवेदन दायर किया गया था। विलंब माफी के आवेदन के साथ-साथ बहाली आवेदन को प्रतिवादी संख्या-3/तहसीलदार, तहसील-जालौन, जिला झाँसी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2025 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209 (ज) के प्रावधान के अनुसार 26.07.2025 को आयुक्त, झाँसी मंडल, झाँसी के समक्ष एक निगरानी दायर की। उक्त निगरानी को नवनिर्मित प्रतिवादी संख्या-10 द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उपरोक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या-10 द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद को पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश को 24.07.2024 को वापस ले लिया गया और उसके बाद मामले को 04.03.2025 को साक्ष्य के लिए रखा गया। प्रतिवादी संख्या-10 द्वारा पारित आदेश में आगे कहा गया है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर बहाली आवेदन में ठोस कारण दिए गए थे।
6. यह आगे पता चलता है कि मामले को आदेश दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था और उपरोक्त आदेश को वापस लेने के लिए 02.09.2024 को बहाली आवेदन दायर किया गया था। बहाली के आवेदन में विलंब का कारण भी बताया गया है। वैसे भी, उपरोक्त दो तिथियों, अर्थात् आदेश की तिथि 24.07.2024 और बहाली के आवेदन की प्रस्तुति की तिथि 02.09.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बहाली आवेदन दायर करने में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निजी प्रतिवादियों की ओर से बहुत कम विलंब हुआ है। उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय की राय है कि बहाली आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को सही ढंग से माफ किया गया और बहाली आवेदन को स्वीकार किया गया। जिस आदेश से बहाली आवेदन स्वीकार किया गया था, उसमें विलंब माफी का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन न्याय के हित में, न्यायालय की राय है कि इस तरह की प्रक्रियात्मक खामियों को माफ किया जाना उचित है।

7. इस दृष्टिकोण से, न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि मामले में पर्याप्त न्याय किया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पूरी रिट याचिका में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेशों से याचिकाकर्ता को क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
8. रिट याचिका गुण-दोष रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

फरवरी 24, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"